<u>कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश</u>

उपस्थित	**श्री चन्द्रभानु, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री राजवीर सिंह, जिला अध्यक्ष, भारत परिषद, उत्तर प्रदेश, सत्य प्रेमी नगर, बाराबंकी।**
प्रार्थना पत्र संख्या	**43 / 11**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ।**

<u>उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय</u>

1. व्यापारी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र संख्या-43 / 11, दिनांक 03.05.11 प्रस्तुत किया गया है जिसके माध्यम से निम्न प्रश्न पूछा गया है :-

1. कच्ची तम्बाकू की पत्ती पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की दर क्या है ?

2. बोरे में पैक कच्ची तम्बाकू को बिना कुछ बदले, छोटे पैके में ब्रान्ड नाम से पैके करने पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की दर क्या है ?

3. Unmanufactured तम्बाकू पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की दर क्या है ?

4. यदि कच्ची तम्बाकू की पत्ती को रंग कर, सेन्ट आदि लगा कर छोटे पैक / बड़े पैक में बेचा जाता है, तब उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की दर क्या होगी ?

2. फर्म की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. मेरे द्वारा व्यापारी के प्रार्थना-पत्र, पत्रावली एवं अभिलेखों आदि का परिशीलन किया गया। पाया गया कि कच्ची तम्बाकू उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-ग की प्रविष्टि संख्या-236 में वर्गीकृत है। अत: प्रथम प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में कच्ची तम्बाकू पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-ग की प्रविष्टि संख्या-236 में आने के कारण 4% (अतिरिक्त कर अतिरिक्त) की दर से करदेयता है। जहाँ तक पूछे गये प्रश्न संख्या-2 व 3 का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में विस्तृत उत्तर माल के सैम्पुल को देखने के पश्चात ही दिया जा सकता है, परन्तु उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची में बोरे में पैक कच्ची तम्बाकू पर बिना कुछ बदले, छोटे पैक में ब्राण्ड नाम से पैक करने पर या Unmanufactured तम्बाकू पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-ग की प्रविष्टि संख्या-236 के अन्तर्गत करदेयता बनेगी जहाँ तक प्रश्न संख्या-4 का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में सर्वश्री ओम टुबैको, भोला इंडिस हाउस, सहसों, इलाहाबाद (धारा-59 का प्रार्थना-पत्र संख्या-34 / 10) के वाद में कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा दिनांक 31.05.2010 को निर्गत निर्णय प्रस्तुत मामले में भी प्रभावी रहेगा। माननीय सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, लखनऊ (पूर्ण पीठ) के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 09.09.2010 (अपील संख्या-33 / 2010 (2010-11) द्वारा सर्वश्री ओम टुबैको, भोला इंडिस हाउस, सहसों, इलाहाबाद के मामले में पारित धारा-59 के निर्णय का समर्थन किया गया है।

4. उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-ग की प्रविष्टि सख्यां-236 निम्नवत् है :-

236	Raw tobacco (*vide Noti.no.-KA.NI-2-2758/XI-9(1)/08....dated 29-09-08 effective from 30-09-08)*

......2

5. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 07 जुलाई, 2011

ह0 / 07.07.2011

(चन्द्रभानु)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश ,लखनऊ।